न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 08/2020 | तारीख दायर 31-08-2020 | तारीख फैसला 07/10/20

उनवान

01. शंकरलाल पुत्र श्री श्योलाल उम्र 80 साल
02. मनोहरी देवी पत्नी श्री शंकरलाल उम्र 78 साल जातियान अहीर निवासीगण ग्राम सिलारपुर थाना खुशखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रार्थीगण / सायलान

बनाम

01. रामनरेश उम्र करीब 55 साल
02. रामपत उम्र करीब 53 साल
03. विक्रम उम्र करीब 50 साल पुत्रान श्री शंकरलाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सिलारपुर थाना खुशखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: अप्रार्थीगण / गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक
भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिन प्रार्थीगण/सायलान वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर के रहने वाले है, जिनकी उम्र 80 साल के आसपास है, जोकि काफी वृद्ध एवं बुजुर्ग है। मिन प्रार्थीगण/सायलान कुछ भी कार्य करने में असमर्थ है और आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं है और अधिकतर बीमार रहते है। गैरसायलान संख्या 1 लगायत 3 मिन प्रार्थीगण/सायलान के पुत्र है, जो कि गैरसायलान संख्या 1 कम्पनी में कर्मचारी है तथा अच्छी पोस्ट पर नियुक्त है और गैरसायलान संख्या 2 मिल्ट्री से रिटायर्ड है और वर्तमान में कम्पनी में कार्यरत है और गैर सायलान सख्या 3 भी कम्पनी में कार्यरत है और समस्त गैरसायलान काफी अच्छी आजीविका कमा रहे है। लेकिन गैरसायलान मिन सायलान का भरण–पोषण नहीं कर रहे है और ना ही प्रार्थीगण/सायलान की देखभाल कर रहे है, जबकि गैरसायलान समस्त मिन प्रार्थीगण/सायलान का भरण पोषण करने में पूर्णतया समर्थ है। प्रार्थी/सायल संख्या 1 के नाम वाके ग्राग मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में 10 बीघा तथा वाके ग्राम झांजा तहसील गुहाना जिला झुंझनू में 42 बीघा इस प्रकार कुल 52 बीघा खांतेदारी की जमीन स्थित थी, जिस जमीन को गैरसायलान ने मिन प्रार्थी/सायल संख्या 1 को अपने बहकावें में लेकर तथा यह सोचकर कि अगर प्रार्थी/सायल मर गया तो हमें अपनी बहन को हक देना पड जायेगा, मिन प्रार्थी/सायल संख्या 1 से उसके नाम सारी जमीन जायदाद को अपने नाम बराबर–बराबर हिस्से में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया, जिस बाबत दिनांक 27.02.2020 को तीनों

... तहरीर करवाये है तथा हलफनामा में प्रत्येक ...डा, आवश्यक चीजें में भविष्य में रोटी, कमडा व अन्य आवश्यक चीजें आदि व मुबलिग ...न्य प्रतिमाह नहीं देता है तो उस सूरत में मेरे पिता श्री शंकरलाल ने मुझे अपनी जमीन हिस्से अनुसार दे दी है। ... पिता श्री शंकरलाल पुत्र श्री श्योलाल मेरे हिस्से की जमीन वापिस ले सकते है और मेरे उपर कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकते है। जिसमें मुझे कोई उजर व ऐतराज नहीं होगा। उपरोक्त हलफनामा तहरीर कराने के बाद उपरोक्त तीनों गैरसायलान ने अपने अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा कर काश्त कार्य करने लग गये, लेकिन हलफनामा में तैय शर्तों के अनुसार मिन प्रार्थीगण/सायलान को रोटी, कपडा व अन्य आवश्यक चीजें नहीं दी गई और ना ही 2500/- रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता के रूप में नहीं दी गई है और गैरसायलान उपरोक्त हलफनामा में दर्ज अपने पार्ट का पूर्णतया उल्लंघन कर रहे है और मिन प्रार्थीगण/सायलान की बुढापे में कतई देखभाल नहीं कर रहे है जिससे मिन सायलान के सामने भरण-पोषण की काफी समस्या आई है और भूखे मर रहे हैं तथा ना ही बीमारी का इलाज करवा रहे है, और ना ही दवाई खुराक दिला रहे है। मिन प्रार्थीगण/सायलान को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में मिन प्रार्थीगण/सायलान को पृथक-पृथक गैरसायलान से 15000/- रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थीगण/गैरसायलान अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्व एकरतरफा कार्यवाही की गई। अतः तीनों अप्रार्थीगण द्वारा जारी हलफनामा के आधार पर 2500-2500-2500 रू0 प्रतिमाह प्रार्थीगण भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः अप्रार्थीगण/गैरसायलान रामनरेश, रामपत व विक्रम को निर्देशित किया जाता है कि वे 2500-2500-2500 रू0 प्रतिमाह कुल राशि 7500/- रू0 मासिक राशि सायलान शंकरलाल पुत्र श्री श्योलाल व मनोहरी देवी पत्नी श्री शंकरलाल को अदा किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रत्येक माह की राशि अदायगी आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व करते रहे। गत महीनों की राशि अदायगी का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें। आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु थानाधिकारी खुशखेडा को अहकाम जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)